# प्रेसनोट दिनांक 18-02-2021 जनपद मुरादाबाद।

**1 – बहला फुसलाकर ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना मझोला:-**

दिनांक 04-02-2021 को वादी....निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना मझोला मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना मझोला पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना मझोला पर मु0अ0सं0 113/21 धारा 363, 366 भादवि पंजीकृत किय गया। उक्त के क्रम में दिनांक 17-02-2021 को उ0नि0 श्री रामबीर सिंह राठी थाना मझोला ने मय हमराही पुलिसबल वांछित अभियुक्त सौरभ पुत्र स्व0 सन्तु लाल निवासी लोधीपुर राजपूत थाना पाकबडा मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

**2 – दहेज की मांगकर प्रताडित करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना गलशहीद:-**

दिनांक 28-01-2021 को वादिनी.....निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना गलशहीद ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से दहेज मे मोटर साईकिल व दो लाख रूपये की मांग करना तथा मांग पूरी न होने पर प्रताडित करना, वादिनी के साथ मारपीट, गाली गलोच कर जान से मारने की धमकी देना तथा तीन तलाक देने के सम्बन्ध में थाना गलशहीद पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना गलशहीद पर मु0अ0सं0 07/21 धारा 498ए ,452, 323, 354, 504, 506 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम व 3/4 तीन तलाक अधिनियम पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 18-02-2021 को उ0नि0 श्री जितेन्द्र गौतम थाना गलशहीद ने मय हमराही पुलिसबल वांछित अभियुक्त शफीक पुत्र बब्बू निवासी ज्वालानगर शमसाबाद थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर को गिरफ्तार किया गया।

**3 – तीन तलाक देने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना गलशहीद:-**

दिनांक 05-02-2021 को वादिनी....निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना गलशहीद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के घर मे घुसकर वादिनी के साथ मारपीट गाली गलोच करना तथा तीन तलाक देने के सम्बन्ध में थाना गलशहीद पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना गलशहीद पर मु0अ0सं0 14/21 धारा 452, 323, 504, 506 भादवि व ¾ मुस्लिम विवहा संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 18-02-2021 को उ0नि0 श्री जितेन्द्र गौतम थाना गलशहीद ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त आजम पुत्र असफाक निवासी पहाडी गेट खुसबू स्कूल वाली गली जनपद रामपुर को गिरफ्तार किया गया।

**4 – गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना भगतपुर:-**

दिनांक 08-02-2021 को थानाध्यक्ष श्री धमेन्द्र सिंह थाना भगतपुर मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गैंग बनाकर अपने व अपने गैंग के अर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध शराब तैयार कर बेचना। जिससे जनता मे भय व असंतोष की भावना व्याप्त होने के सम्बन्ध में थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0 38/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया। उक्त के क्रम में दिनांक 17-02-2021 को उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना भगतपुर ने मय हमराही पुलिसबल वांछित अभियुक्त राम सिंह पुत्र नरपत सिंह निवासी ग्राम निवाड खास थाना भगतपुर मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।